भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4192

29 मार्च 2022 को उत्तरार्थ

सहकारी क्षेत्र से संबंधित कानूनों में परिवर्तन

4192. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बहु-क्षेत्रीय सहकारी समितियों जैसे क्षेत्रों में प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए सहकारी क्षेत्र को शासित करने वाले कानूनों में परिवर्तन करने का विचार है;

(ख) यदिं हां, जो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): जी हाँ। बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए कानून को बदलती आर्थिक नीतियों के अनुरूप रखने, प्रबंधन को सदस्यों के प्रति जवाबदेह बनाने और समितियों के जमाकर्ताओं एवं शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने हेतु प्रभावी नियामक तंत्र हो।

*****